संख्या: 1:05:138:II :CS

दिनांक: 05.02.2026

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) **MUMBAI – 400 051.** **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड,** लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), **मुंबई-400 051**	**BSE Limited,** Department of Corporate Services, Floor – 25, PJ Towers, Dalal Street, **MUMBAI – 400 001.** **बीएसई लिमिटेड,** कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, **मुंबई-400 001**

विषय: बोर्ड बैठक का परिणाम- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार सूचना।

महोदया/महोदय,

हमारे पूर्व पत्राचार दिनांक 27.01.2026 और 02.02.2026 के क्रम में, हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज यानी 05.02.2026 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया है और उन्हें मंजूरी दे दी है:

1. **31.12.2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित)।**

   सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, कृपया इसके साथ संलग्न 31.12.2025 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडअलोन और समेकित) प्राप्त करें, साथ ही संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों यानी ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मेहरा गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा सीमित समीक्षा रिपोर्ट भी संलग्न है।

2. **वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹₹10/- प्रत्येक के चुकता इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) पर ₹4.00/- (रुपये चार मात्र) प्रति इक्विटी शेयर (यानी @ 40%) के तीसरे अंतरिम लाभांश की घोषणा (टीडीएस कटौती के अधीन)।**

इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए तीसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से **20.02.2026 (शुक्रवार)** को **'रिकॉर्ड तिथि'** माना जाएगा।

उपरोक्त तीसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान / प्रेषण की तिथि **06.03.2026** या उससे पहले होगी।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को लाभांश का भुगतान करते समय आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारित दरों पर टीडीएस कटौती करना आवश्यक है। हालांकि, यदि कोई शेयरधारक चाहता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार उसके कर की कटौती कम दरों पर की जाए या कर की कटौती न की जाए, तो उसे पैन, फॉर्म 15G/15H और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी 20.02.2026 को या उससे पहले निम्नलिखित लिंक पर जमा करनी चाहिए, बशर्ते कि ये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पहले से जमा न किए गए हों:

https://ris.kfintech.com/form15/forms.aspx?q=0

20.02.2026 के बाद कर निर्धारण या कम दरों पर कर की कटौती से संबंधित किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

बोर्ड की बैठक 05.02.2026 को सुबह 11:30 बजे शुरू हुई और अन्य मदों के साथ-साथ वित्तीय परिणामों को मंजूरी देने के बाद, बैठक को उस दिन के लिए दोपहर 1:30 बजे स्थगित कर दिया गया था, जिसे अब 06.02.2026 को निर्धारित किया गया है।

यह आपके सूचनार्थ एवं रिकॉर्ड हेतु प्रस्तुत है।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनीष कुमार अग्रवाल)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
mk_agarwal@pfcindia.com